यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, नैनीताल** के माह 01/2016 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि शंकर एवं श्री सुधीर कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17-11-2018 से 22-11-2018. तक श्री बी॰ डी॰ सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रविन्द्र भट्ट सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय पाल नेगी लेखा परीक्षक के द्वारा श्री राकेश कुमार लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 20/01/2016 से 24/01/2016 तक मे संपादित किया गया था जिसमें 09/2005 से 12/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2016 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, नैनीताल का मुख्य कार्यकलाप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान का वितरण आदि संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं। जनपद नैनीताल के अंतर्गत अच्छादित सम्पूर्ण क्षेत्र है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+) रू.**	**बचत (-) रू.**
	स्थापना रू.	**गैर स्थापना**	**आवंटन रू.**	**व्यय रू.**	**आवंटन रू.**	**व्यय रू.**		
2015-16	शून्य	शून्य	194.57	190.11	शून्य	शून्य		4.46
2016-17	शून्य	शून्य	216.80	215.52	शून्य	शून्य		1.28
2017-18	शून्य	शून्य	234.37	222.34	शून्य	शून्य		12.03
2018-19 (Upto Oct. 2018)	शून्य	शून्य	432.90	233.17	शून्य	शून्य		199.73

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**अधिक्य (+)/ बचत (-)**
2015-16	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19 (Upto Oct. 2018)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* योजना के अंतर्गत इकाई को खाद्यान्न की प्राप्ति होती है। धनराशि स्थानान्तरित नहीं होती है।

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत वित्तीय नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति स्तर से प्राप्त किए जाते हैं। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. प्रमुख सचिव 3. आयुक्त 4. अपर आयुक्त 5. संयुक्त आयुक्त 6. उपायुक्त 7. जिला पूर्ति अधिकारी 8. क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी 9. पूर्ति निरीक्षक 10. लेखाकार आदि

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, नैनीताल को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 09/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य सरकार से प्राप्त बजट का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 01- खाद्यान भंडारों को खाद्यान का अनियमित आवंटन।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार खाद्यानों का आवंटन राशन कार्डों तथा उनमें अंकित यूनिटों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसके तहत भारत सरकार की दो योजनाये; अन्तोद्य तथा प्राथमिक परिवार लागू की गयी हैं। अंत्योदय योजना के अंतर्गत प्रत्येक राशन कार्ड धारक को प्रति माह 35 किग्रा॰ खाद्यान (13.30 किग्रा॰ गेहूं, 21.70 किग्रा॰ चावल) तथा प्राथमिक परिवार योजना के अन्तर्गत अंतर्गत प्रत्येक राशन कार्ड धारक को प्रति माह 05 किग्रा॰ खाद्यान (दो किग्रा॰ गेहूं, तीन किग्रा॰ चावल) आबंटित किया जाना चाहिए था।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, नैनीताल की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 2016-17 एवं 2017-18 में अंत्योदय तथा प्राथमिक परिवार योजना के अंतर्गत सभी आंतरिक गोदामों को खाद्यान का आवंटन निम्न तालिका के अनुसार किया गया था-

गेहूं का आवंटन

योजना का नाम	**वित्तीय वर्ष**	**कार्ड धारकों की संख्या**	**मानक के अनुसार गेहूं का आवंटन(कार्डस x 0.133 कुंतल x 12)**	**वास्तविक आबंटित मात्रा (कुंतल में)**	**कमी (कुंतल में)**
अंतयोदय योजना	2016-17	15527	24781.092	24104.08	677.01
	2017-18	16728	26697.888	23987.51	2710.38
		यूनिटों की संख्या	**मानक के अनुसार गेहूं का आवंटन (यूनिटों की संख्या x 0.02 कुंतल x 12)**		
प्राथमिक परिवार	2016-17	499389	119853.36	113391.48	6461.88
	2017-18	499389	119853.36	113391.48	6461.88

अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार योजना के अन्तर्गत सभी आंतरिक गोदामों को वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में चावल के आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार थी-

चावल का आवंटन

योजना का नाम	**वित्तीय वर्ष**	**कार्डों धारकों की संख्या**	**मानक के अनुसार चावल का आवंटन (कार्ड संख्या x 0.217 कुंतल x 12)**	**वास्तविक आबंटित मात्रा (कुंतल में)**	**कमी/अधिकता/ (कुंतल में)**
अंतयोदय योजना	2016-17	15527	40432.308	38703	(-) 1728.34
	2017-18	16728	43559.712	39137.88	(-) 4421.83
		यूनिटों की संख्या	**मानक के अनुसार चावल का आवंटन (यूनिटों की संख्या x 0.03 कुंतल x 12)**		
प्राथमिक परिवार	2016-17	499389	179780.04	188683.24	(+) 8903.20
	2017-18	499389	179780.04	185007.12	(+) 5227.08

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंत्योदय योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में आंतरिक गोदामों को 3387.39 कुंतल गेहूं कम आबंटित होने से 2122 कार्ड धारक (1.596 कु॰ प्रति

वर्ष प्रति कार्ड की दर से) प्रभावित हुये तथा प्राथमिक परिवार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में आंतरिक गोदामों को 12923.76 कुंतल गेहूं कम आबंटित किए जाने से 53849 (0.24 कु॰ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) लाभार्थी प्रभावित हुये। इसके अतिरिक्त अंत्योदय योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में आंतरिक गोदामों को 6150.17 कुंतल चावल कम आवंटन होने से 2361 कार्ड धारक(2.52 कु॰ प्रति वर्ष प्रति कार्ड की दर से) प्रभावित हुये। पुनः देखा गया कि प्राथमिक परिवार योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में आंतरिक गोदामों को 14130.28 कुंतल चावल अधिक आबंटित किया गया जिससे प्राथमिक परिवार योजना के अन्तर्गत अनुमन्य मात्रा से अधिक मात्रा में चावल का आवंटन किया गया जो कि एक गंभीर अनियमितता है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अंत्योदय योजना के अन्तर्गत कम आवंटन का कारण जनपद को इस योजना के अन्तर्गत कम कोटा प्राप्त होना बताया गया है। प्राथमिक परिवार योजना में गेहूं का कम तथा चावल का अधिक आवंटन का कारण उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 415 के अनुसार आबंटित की गयी मात्रा के अनुसार किया गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार सभी कार्ड धारकों को उचित मात्रा के अनुसार खाद्यानों का आवंटन/ वितरण होना आवश्यक है तथा आवंटन में कमी अथवा आधिक्य स्वीकार्य नहीं है।

अतः खाद्यान भंडारों को खाद्यान का अनियमित आवंटन किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर 02 : राजकीय सेवा किए बिना वेतन का भुगतान रूपये 22.20 लाख।

सेवा नियमों के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी को नियमित रूप से सरकारी सेवा/कार्य करने पर माह के अन्त में वेतन का भुगतान किया जाता है। जिसमें उसको अवकाश वेतन एवं अर्ध वेतन अवकाश प्रदान किया जाता है, अवकाश न होने की स्थिति में उसको बिना वेतन के अवकाश भी स्वीकृत किया जाता है।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, नैनीताल के वाहन अभिलेखों की जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी श्री भूपाल सिंह, वाहन चालक के पद पर पदस्थ हैं, जबकि कार्यालय में पिछली लेखा परीक्षा अवधि से वर्तमान तक कोई वाहन नहीं है। कार्यालय के द्वारा उक्त वाहन चालक को कोई अन्य कार्य भी आबंटित नहीं किया गया है एवं न कोई कार्य ही कराया जा रहा है और न ही उसकी पदस्थापना किसी अन्य जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में की गयी जहां पर वाहन चालक की सेवाओं का उपयोग किया जा सके, जिससे वे बिना कार्य के वेतन का आहरण कर रहे हैं। श्री भूपाल सिंह, वाहन चालक लगभग 12 वर्षों से अधिक की अवधि से बिना कार्य किए वेतन आहरित कर रहे हैं, वाहन चालक को 01/2016 से 10/2018 तक की अवधि में धनराशि रूपये 17.62 लाख का भुगतान बिना कार्य के किया गया जो कि सेवा नियमों के विपरीत था। विगत लेखापरीक्षा तक यह धनराशि रु. 4.58 लाख थी। जो कि इस लेखापरीक्षा तक रु. 22.20 लाख हो गयी।

उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर पूर्ति अधिकारी ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि कार्यालय में वर्ष 2006 से वाहन नहीं है, वाहन न होने के कारण वाहन चालक को कोई अन्य कार्य नहीं दिया गया। जून 2016 से अक्टूबर 2018 तक 17.62 लाख के वेतन का भुगतान किया गया है।

जिला पूर्ति अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यालय के द्वारा श्री भूपाल सिंह, वाहन चालक को लगभग 12 वर्षों से अधिक की अवधि से बिना कार्य किए वेतन दिया जा रहा था, वाहन चालक को 04/2015 से 10/2018 तक की अवधि में धनराशि रूपये 21.40 लाख का भुगतान बिना कार्य के किया गया। उक्त वाहन चालक की पदस्थापना किसी अन्य जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में करके उसकी सेवाओं का उपयोग लिया जा सकता था। जबकि उक्त प्रकरण पिछली लेखा परीक्षा में भी पूरक नमूना लेखा परीक्षा में इंगित करते हुये जिला पूर्ति अधिकारी के संज्ञान में लाया गया था, लेकिन विभाग द्वारा उक्त के सम्बंध कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गयी एवं वाहन चालक से न तो कोई अन्य कार्य कराया जा रहा था और न ही उसका अन्यत्र स्थानांतरण किया जा रहा था।

अतः धनराशि रूपये 22.20 लाख कार्य के बिना वेतन का भुगतान किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-03- जनपद में राशन कार्डों का आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण न किया जाना।

भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी लाभार्थियों को आधार सीडिंग तथा डिजिटाइज्ड करने का कार्य जून 2017 तक पूर्ण कर लिया जाये जिसके सन्दर्भ में खाद्य आयुक्त द्वारा निर्देशित (मई 2017) किया गया था कि सभी लाभार्थियो का आधार सीडिंग तथा इनका डिजिटैजेशन जून 2017 तक अनिवार्य रूप से किया जाये। क्योंकि ऐसा न होने की दशा में राज्य के कोटे पर निर्गत सब्सिडाइज्ड राशन की मात्रा पर विपरीत असर पड़ रहा था। अतः राज्य हित में उक्त कार्य को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण किया जाना अति आवश्यक था।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक पूर्ति विभाग, नैनीताल के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद में अभी तक कुल 214307 राशन कार्डों में से 341 राशन कार्डों का आधार सीडिंग का कार्य अपूर्ण था तथा 962927 यूनिटों में से 315152 यूनिटों का आधार सीडिंग का कार्य अपूर्ण था। उक्त राशन कार्डों/ यूनिटों को बिना आधार सीडिंग के खाद्य निर्गत जा रहा था।

लेखा परीक्षा में कारण पूछे जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के अन्तर्गत मुखिया के 99 प्रतिशत तथा युनिटों का 63 प्रतिशत आधार सीडिंग लक्ष्य माह मई 2018 में प्राप्त कर लिया गया था परन्तु मई 2018 में विभागीय साइट बन्द हो जाने के फलस्वरूप कार्य में प्रगति नहीं परिलक्षित हो रही है। वर्तमान में नई प्रणाली लागू करने हेतु स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान कर आधार सीडिंग का कार्य कराया जायेगा।

विभाग का उत्तर संतोषजंक नहीं क्योंकि आदेशानुसार यह कार्य वर्ष मई 2017 के तक पूर्ण किया जाना था किन्तु विभाग द्वारा अक्टूबर 2018 तक 341 कार्डों तथा 315152 यूनिटों का आधार सीडिंग का कार्य नहीं किया गया था।

अतः जनपद में राशन कार्डों का आधार सीडिंग न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-4: माह दिसंबर 2017 से मार्च 2018 तक चीनी का मानकों से अधिक वितरण।

उत्तराखण्ड सरकार के पत्र सख्या 1267/ आ० वि०शा०/ चीनी आ०/ 2017-18 दिनांक 07.09.2017 के द्वारा केवल अंत्योदय अन्य योजना के कार्ड धारकों को चीनी का मासिक आवंटन प्रचलित अंत्योदय कार्ड धारकों के अनुसार किया गया था, जिसमें अन्य योजना के कार्ड धारकों को चीनी का वितरण अनुमन्य नहीं था।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, नैनीताल की लेखा परीक्षा के दौरान यह प्रकाश में आया कि जिला पूर्ति अधिकारी नैनीताल द्वारा माह दिसंबर से मार्च 2018 तक कुल 209.289 एमटी चीनी का उठान किया गया जिसके सापेक्ष उक्त अवधि में 172.995 एमटी चीनी का वितरण किया गया। जनपद नैनीताल में अंत्योदय कार्ड धारकों कि संख्या 16728 थी जिसके अनुसार प्रति माह प्रति कार्ड 01 किग्रा के आधार पर आवंटन (16728*0.01 कुंतल=167.28 कुंतल या 16.728 एमटी) 16.728 एमटी प्रति माह था जिसके अनुसार चार महों में चीनी का वितरण 66.912 एमटी होना था। लेखा परीक्षा में देखा गया कि उपरोक्त अवधि में जनपद में कुल 172.995 एमटी चीनी का वितरण किया गया जो कि अनुमन्य मात्रा से 106.083 एमटी अधिक था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि माह अप्रैल एवं मई में अवशेष चीनी में से सभी कार्ड धारकों को चीनी का वितरण किया गया।

विभाग का उत्तर इस लिए मान्य नहीं है क्योंकि अप्रैल मई माह में अवशेष चीनी जून माह में विवरण के पश्चात अवशेष शून्य था एवं सितम्बर 2017 से केवल अंत्योदय कार्ड धारकों को ही चीनी का वितरण किया जाना था।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर:5- धनराशि रू. 12.66 लाख कि वसूली लंबित रहना।

जिला पूर्ति अधिकारी, नैनीताल द्वारा रिवोल्विंग फ़ंड के अंतर्गत कार्डो का मुद्रण कराकर संबन्धित इकाइयो को वितरित किया जाता है, एवं उनसे वितरित किए गए कार्डो का मूल्य वसूल कर रिवोल्विंग फ़ंड खाता स॰ sbi 10860834192 मे जमा करना होता है। उत्तराखंड राज्य खाद योजना (SFY) के अंतर्गत मुद्रित कार्ड शासन द्वार निर्धारित मूल्य क्रमश: 10/- की दर से ब्लॉको एवं नगरीय क्षेत्र के उपभोक्ताओ को जारी करने हेतु निर्गत किए। ब्लॉको एवं नगरीय क्षेत्र को जारी किए गए कार्डो का मूल्य उनसे प्राप्त कर रिवोल्विंग फ़ंड मे जमा करना होता है एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका (volume-v, part-1) के नियम 26 मे स्पष्ट वर्णित है कि Government servants receiving money of behalf of Government, should be enterned in the receipt. The officer should satisfy himself at the time of singning the receipt that the amount has been entered in the cash-book.

इकाई के लेखा-अभिलेखो की नमूना लेखा-परीक्षा जांच मे पाया गया की 1/2016 से 10/2018 की अवधि मे ग्रामीण क्षेत्रो को उत्तराखंड राज्य खाद्ध योजना (SFY) के अंतर्गत ब्लॉको भीमताल मे 5785, रामगढ़ मे 2500, रामनगर मे 15800, हल्द्वानी मे 20600, कोटबाग मे 3500, नैनीताल मे 3478, बेतालघाट मे 4000, कुल मिलाकर 55663 कार्ड निर्गत किए गये, जिनका मूल्य रू॰ 10 x 55663=556630/- था। इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य खाद्ध योजना (SFY) के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो मे, भीमताल मे 1500, भवाली मे 5000, कालाढूंगी मे 2000, रामनगर मे 4900, लालकुआ मे 8800, हल्द्वानी मे 11000, नैनीताल मे 6361, कुल मिला कर शहरी क्षेत्रो मे 39561 कार्ड निर्गत किए गये, जिनका मूल्य रू॰ 10 x 39561=3,95,610/- था। इस प्रकार इकाई द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो मे कुल 95224 कार्ड जारी किए गए थे, जिनका कुल मूल्य रू॰ 9,52,240.00 था, जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा कुल रू॰ 40,000.00 की वसूली लेखा परीक्षा तिथि तक की गयी थी, शेष धनराशि रू॰ 9,12,240.00 2 वर्ष व 2 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी लंबित थी। विगत लेखापरीक्षा अवधि 09/2005 से 12/2015 में भी रु. 354576 धनराशि की वसूली लम्बित थी।

इस प्रकार धनराशि रू॰ 12.66 लाख की वसूली 2005 से अद्यतन लंबित थी

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर मे बताया कि रू. 8.25 लाख कि धनराशि जमा कि गयी थी तथा अवशेष कि वसूली शीघ्र किए जाने के प्रयास किए जायेंगे। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उत्तर के समर्थन मे इकाई द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य मे उक्त धनराशि का स्पष्ट उल्लेख नहीं पाया गया पंजिका में भाग 40,000 की प्राप्त धनराशि का ही उल्लेख था।

अत: रू. 12.66 लाख कि वसूली लंबित रहने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-6: धनराशि रूपये 6.25 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 1125/XIX-1/17-07/2017 के अनुसार राज्य के सभी परिवारों की रसोई को धुआँ मुक्त करने हेतु मा॰ मुख्य मंत्री की घोषणा संख्या 744/ 2017 के क्रम में केन्द्र की प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम उज्जवला योजना से आच्छादित किया जायेगा उसके पश्चात छूटे हुये ऐसे गरीब परिवारों को जो अन्त्योद्य/ प्राथमिक (पी॰ एच॰एच॰) कार्ड धारक तथा 2.50 लाख से कम वार्षिक आय हो तथा किसी भी परिवार में महिला अथवा पुरुष मुखिया या किसी अन्य सदस्य के नाम गैस कनेक्सन न हो। इसके अतिरिक्त गैस सब्सिडी का दुरूपयोग न हो इस हेतु राशन कार्ड धारक मुखिया का आधार नम्बर व बैंक खाता से लिंक किया जा चुका हो।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग, नैनीताल के अभिलेखों की जाँच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद नैनीताल को मार्च 2018 में धनराशि रूपये 7,92,000/- तथा जुलाई 2018 में धनराशि रूपये 5,46,000/- प्राप्त हुआ था जिसको प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष आबंटित धनराशि को समानुपातिक रूप से चार गैस एजेंसियों को 495 आवेदनों के लाभार्थियों के लिए मार्च 2018 एवं नौ गैस एजेंसियों को 341 आवेदनों के लाभार्थियों के लिए सितंबर 2018 में गैस कनैक्सन उपलब्ध कराने हेतु हस्तांतरित कर दिया गया। सभी गैस एजेंसियों को उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ यह प्रमाणित करके भेजने के लिए कहा गया कि संबन्धित परिवार के पास वर्तमान में किसी भी गैस कम्पनी का गैस कनैक्सन नहीं है तथा लाभार्थी भारत सरकार द्वारा संचालित उज्ज्वला योजना एवं विस्तारित उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं है। जांच में यह पाया गया कि गैस एजेंसियों के द्वारा कुल धनराशि रूपये 13,37,600/- के सापेक्ष धनराशि रूपये 7,12,000/- के ही उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजे गए है तथा शेष धनराशि रूपये 6,25,600/- के गैस एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना लम्बित था।

उक्त से स्पष्ट था कि गैस एजंसियों के द्वारा धनराशि रूपये 6.25 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र लम्बित होने से 391 परिवारों को उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित रखा गया। उक्त धनराशि पर गैस एजेंसियों को जारी की गयी धनराशि पर प्राप्त होने वाले ब्याज की धनराशि से विभाग को वंचित होना पड़ा।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया कि लाभार्थी के दावे पूर्ण जांच तथा आधार सत्यापन के बाद कनेक्सन जारी किए जाने का प्रावधान है उसकी KYC दर्ज करने के बाद ही कनैक्सन जारी किया जाता है। भवाली गैस एजेंसी द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा कनैक्सन जारी करने की कार्यवाही गतिमान है जिस कारण उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए। ब्याज की धनराशि प्राप्त किए जाने के संबंध में अवगत कराया कि सूचना संकलित करने हेतु गैस एजेंसियों से सूचना प्राप्त कर अवगत करा दिया जायेगा तथा सम्प्रेक्षा में जारी निर्देशों के क्रम में कार्यवाही कि जायेगी।

जिला पूर्ति अधिकारी की स्वीकारोक्ति यह दर्शाती है, कार्यालय के द्वारा धनराशि रूपये 6.25 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए तथा 391 परिवारों को उक्त योजना के अन्तर्गत

प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित रखा गया था तथा गैस एजेंसियों को जारी की गयी धनराशि पर प्राप्त होने वाले ब्याज की धनराशि से विभाग को वंचित होना पड़ा।

अतः धनराशि रूपये 6.25 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- धनराशि रू. 170.36 लाख की प्रविष्टि रोकड़ बही मे दर्ज न करना।

शासन के पत्रांक स॰ 3/xxvii (6) 2013 दिनांक 02 जनवरी, 2013 के बिन्दु स॰ 4.9 मे ई पेमेंट प्रणाली मे दिये गए दिशा निर्देशों के अनुसार "आहरण एवेम संवितरण अधिकार इंटरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशी संबन्धित के बैंक खाते मे अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान संबन्धित अभिलेखो यथा, 11-सी पंजिका, रोकड़ बही, बिल रजिस्टर आदि मे इनके प्राप्त होने की प्रविष्टी यथा स्थान करेंगे। इसके अतिरिक्त Form बीएम-05 मे DDO द्वारा संबन्धित माह मे किए गए लेनदेनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से वर्णित है की "certified that all the drawls shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me and besides the above the following are also the drawls (if any) by me during the month which have not been shown in the statement."

जिला पूर्ति अधिकारी, नैनीताल की रोकड़ बही की नमूना जांच मे पाया गया कि चयनित माहों 03/2017 व 09/2018 मे बीएम-05 दर्शायी गयी वेतन एवं अन्य विभिन्न मदों कि कुल व्यय धनराशि रू. 164.47/- लाख (98.26 + 72.10) को रोकड़ बही मे नहीं दर्ज किया गया था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे बताया की भविष्य मे अनुपालन किया जायेगा। इस प्रकार इकाई का उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अत: धनराशि रू. 168.47 लाख की प्रविष्टि रोकड़ बही मे दर्ज न करने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
168/2015-16		01,02	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
---- अनिस्तारित	प्रस्तरों की	अनुपालन	आख्या	अप्रस्तुत-----

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
3. अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या।
4. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य
5. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	श्री तेज बल सिंह	जिला पूर्ति अधिकारी	19/11/13 से 11/07/17
2	श्री टी॰ एन॰ उपाध्याय	जिला पूर्ति अधिकारी	11/07/17 से 31/12/17
3	श्री तेज बल सिंह	जिला पूर्ति अधिकारी	17/02/18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी